भारत में मनरेगा कार्यान्वयन: अंतर्दृष्टि और रुझान
अप्रैल-सितंबर 2025

लिबटेक इंडिया

19 नवंबर 2025

ईमेल : contactus@libtech.in | +91 92465 22344

शोध का तरीक़ा और दायरा

यह विवरणात्मक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2025-26 की अप्रैल से सितंबर अवधि के लिए देश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत रोज़गार के रुझानों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष 2024-25 की इसी अवधि के बनिस्बत करती है। यह विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है:

- रोज़गार सृजन (व्यक्ति-दिवस)
- आधार ई-केवाईसी पूरे होने की दरें और वंचित रह जाने का जोखिम
- जॉबकार्ड/श्रमिकों का डेटाबेस से मिटाया जाना और जोड़ा जाना
- पश्चिम बंगाल में मनरेगा

मनरेगा में रोज़गार तथा श्रमिकों को डेटाबेस से मिटाए जाने संबंधी संकेतकों के आँकडे मनरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) (nrega.nic.in) से लिए गए हैं। यह डेटा 10 अक्टूबर 2025 को निकाला गया। ई-केवाईसी पूरे होने की दरों संबंधी जानकारी 12 नवंबर 2025 को उपर्युक्त एमआईएस से डाउनलोड की गई है।

हमारा उद्देश्य नागरिकों और हितधारकों को मनरेगा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना और प्रमुख रुझानों और प्रगति पर प्रकाश डालना है। हमारा मानना है कि इस रिपोर्ट के साथ आपका जुड़ाव देश भर में मनरेगा कार्यान्वयन की बारीकियों की गहरी समझ विकसित करने में मदद करेगा।

इस विश्लेषण में हमने 20 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के आँकड़ों को शामिल किया है। चौदह राज्यों या केंद्र-शासित प्रदेशों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनकी मनरेगा में भागीदारी बहुत कम है। शामिल न किए गए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों का कुल सृजित व्यक्ति-दिवसों में योगदान केवल लगभग 7% था और ऐसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को शामिल करने से प्रमुख संकेतकों में उनकी नगण्य हिस्सेदारी के कारण समग्र रुझान विकृत हो जाएँगे। विश्लेषण में शामिल किए गए और इससे बाहर रखे गए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की सूची के लिए अनुसूची 1 और 2 देखें।

हमारे 20 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के विश्लेषण में कुछ संकेतकों के लिए पश्चिम बंगाल भी शामिल है। हालाँकि पश्चिम बंगाल को व्यक्ति-दिवस संबंधी विश्लेषण से बाहर रखा गया है क्योंकि वहाँ दिसंबर 2021 से ही मनरेगा का काम बंद है।

यह रिपोर्ट क्यों मायने रखती है ?

इस साल सितंबर में मनरेगा ने अपनी यात्रा के दो दशक पूरे कर लिए। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 26 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक पंजीकृत हैं। अपनी शुरुआत से ही मनरेगा देश के करोड़ों वंचित परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। मनरेगा के तहत काम की घटती उपलब्धता और नए आधार ई-केवाईसी नियमों के कारण इस कार्यक्रम पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहने वाले लोगों ख़ासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए आय की असुरक्षा का ख़तरा बढ़ गया है ।

मनरेगा क़ानून - एक परिचय

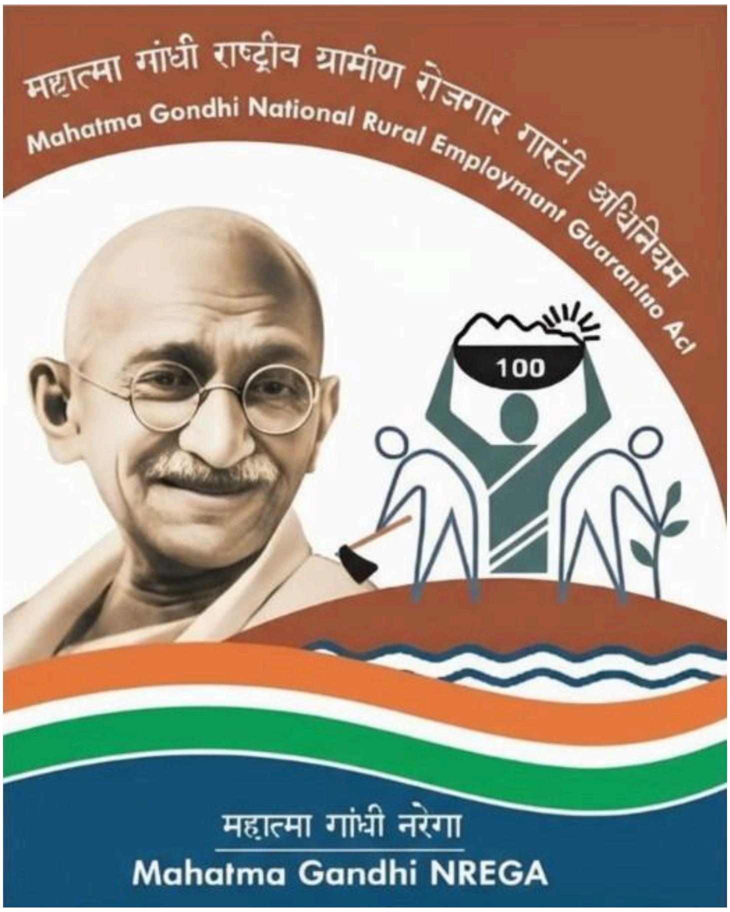

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों को हर साल कम से कम 100 दिनों का रोज़गार देने की गारंटी देता है।

यह कार्यक्रम माँग-आधारित है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रमिकों को काम के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा वे बेरोज़गारी भत्ते के हक़दार होंगे।

यह कार्यक्रम कमज़ोर समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन परिवारों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह कृषि के कमज़ोर मौसम के दौरान आय प्रदान करता है और संकट के कारण होने वाले प्रवास को कम करता है।

मुख्य बिंदु

रोज़गार सृजन - अनुभाग 2.1 और 2.2

1. वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में सृजित व्यक्ति-दिवसों में 11.7% और 25.6% की गिरावट।
2. वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में केवल आठ राज्यों में ही वृद्धि दर्ज की गई और शेष 11 राज्यों में व्यक्ति-दिवसों में गिरावट देखी गई। पश्चिम बंगाल में दोनों वर्षों में कोई व्यक्ति-दिवस दर्ज नहीं किया गया।
3. वित्त वर्ष 2025-26 में सृजित व्यक्ति-दिवसों में उत्तराखंड (54.3%) और तेलंगाना (47.6%) में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई जबकि झारखंड (56.4%) और मध्य प्रदेश (30.5%) में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।

ई-केवाईसी से जुड़ी चुनौतियाँ - अनुभाग 3

1. राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) में चेहरे के सत्यापन के माध्यम से आधार-आधारित ई-केवाईसी को एक नई सुविधा के रूप में जोड़ा गया है। यह ई-केवाईसी नवंबर 2025 से अनिवार्य हो जाएगा।
2. 12 नवंबर 2025 तक देश के कुल मनरेगा श्रमिकों और सक्रिय श्रमिकों में से क्रमशः 68.8% और 46.5% ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है।
3. ई-केवाईसी पूरा ना कर पाने वाले लोगों में कुल श्रमिकों की श्रेणी में मध्य प्रदेश (93.9%), गुजरात (88.8%) और हरियाणा (88.6%) में वंचित रहे श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, वहीं सक्रिय श्रमिकों की श्रेणी में मध्य प्रदेश (90.5%), बिहार (76.7%) और झारखंड (68%) की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
4. क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि तकनीकी ख़राबी, कमज़ोर नेटवर्क कनेक्टिविटी और काम की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन के कारण कई श्रमिक ई-केवाईसी पूरा करने में असमर्थ हैं।

मनरेगा कामगारों की संख्या में शुद्ध बढ़त - अनुभाग 4

1. वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख श्रमिकों को हटाया गया, जबकि 90 लाख श्रमिकों को मनरेगा डेटाबेस में जोड़ा गया। इस प्रकार, श्रमिकों की संख्या में कुल 78.8 लाख की 'शुद्ध' वृद्धि हुई।

पश्चिम बंगाल में मनरेगा - अनुभाग 5

1. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2025 से मनरेगा को पुनः शुरू करने का आदेश दिया और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस आदेश को बरकरार रखा।

2. हालाँकि यह एक सकारात्मक क़दम है लेकिन राज्य में श्रमिकों के लिए एबीपीएस, एनएमएमएस और ई-केवाईसी को धीरे-धीरे अपनाने के लिए विशेष प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं।

1. प्रमुख आँकड़े

विवरण	वित्त वर्ष 2025-26
ज़िलों की कुल संख्या	605
प्रखंडों (ब्लॉक) की कुल संख्या	6461
पंचायतों की कुल संख्या	2,50,617
10 अक्टूबर 2025 तक जारी किए गए जॉबकार्ड (करोड़ में)	14.6
10 अक्टूबर 2025 तक सक्रिय जॉबकार्डों की कुल संख्या (करोड़ में)	7.9
10 अक्टूबर 2025 तक सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (करोड़ में)	11.3
सृजित व्यक्ति-दिवस (अप्रैल से सितंबर तक) (करोड़ में)	132.5

तालिका **1:** वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा संबंधी प्रमुख आँकड़े

आगामी अनुभागों में हम मनरेगा के रोज़गार प्रावधानों और देश भर में इसके कार्यान्वयन पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे ताकि इसकी बेहतर समझ प्राप्त की जा सके और उसी अनुसार नीतिगत सिफ़ारिशें की जा सकें।

2. प्रदत्त रोज़गार

मनरेगा की मूल भावना सिर्फ़ जॉबकार्ड प्राप्त करने में नहीं बल्कि कार्य सृजन में भागीदारी कर रोज़गार हासिल करने में है। यह अनुभाग वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सृजित व्यक्ति-दिवसों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.1 सृजित व्यक्ति-दिवस

वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में सृजित व्यक्ति दिवसों में 11.7% की गिरावट

वित्त वर्ष 2025-26 में देश में केवल 132.5 करोड़ व्यक्ति-दिवस सृजित हुए, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट है और वित्त वर्ष 2023-24, यानी पिछले से पिछले वर्ष की तुलना में भी काफ़ी कम है। दूसरे शब्दों में, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में इस वर्ष सृजित व्यक्ति-दिवसों में क्रमशः 11.7% और 25.6% की गिरावट आई है । यह मनरेगा के तहत हर साल रोज़गार सृजन में क्रमिक गिरावट की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रोज़गार सृजन अपेक्षाकृत बेहतर रहा जबकि उसी वर्ष 2.37 करोड़ श्रमिक मनरेगा से हटाए गए थे । इसके विपरीत, इस वर्ष कार्यबल में जुड़ने वाले श्रमिकों की संख्या में 'शुद्ध' वृद्धि के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में रोज़गार में काफ़ी गिरावट देखी गई। अधिक जानकारी के लिए चित्र 1 देखें।

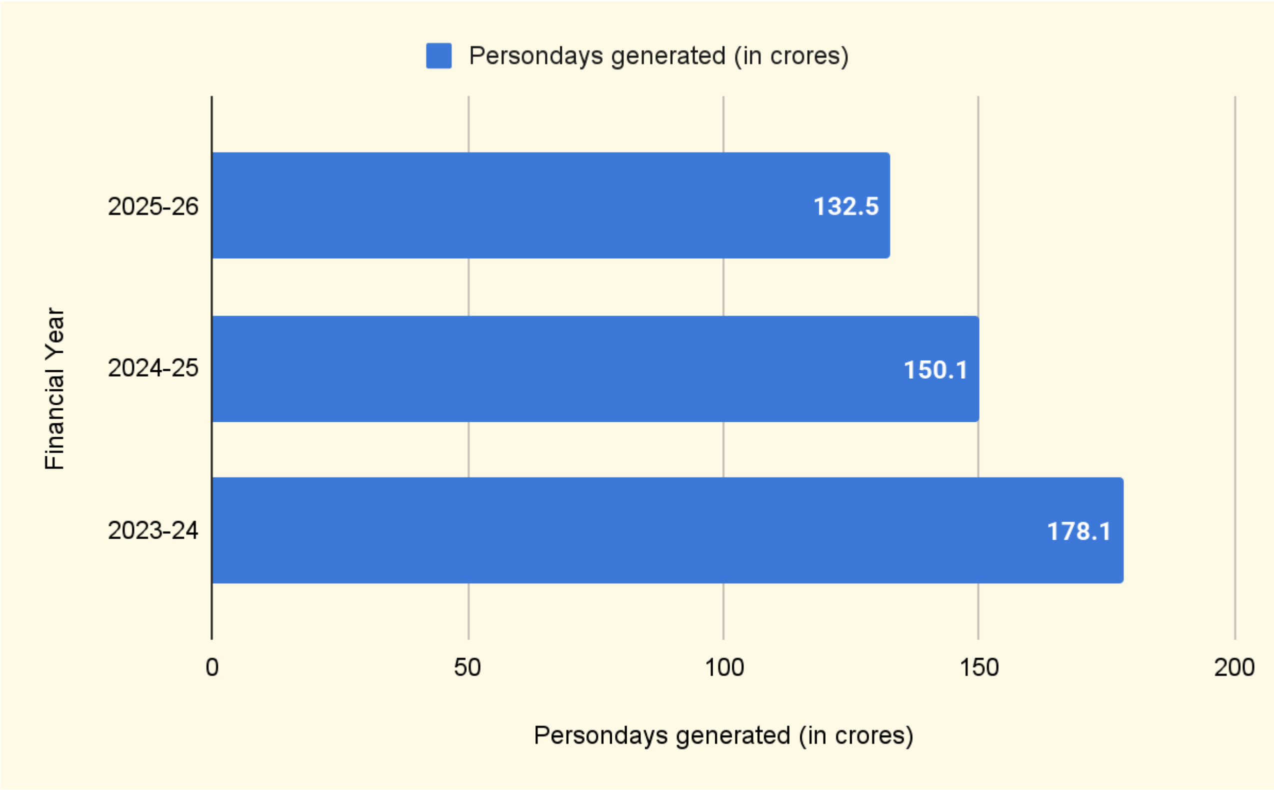

चित्र **1:** वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए अप्रैल से सितंबर तक सृजित व्यक्ति दिवसों का रुझान

2.2 राज्यवार सृजित व्यक्ति-दिवस

11 राज्यों में सृजित व्यक्ति-दिवसों में गिरावट आई और केवल 8 राज्यों में वृद्धि हुई

वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में इस वर्ष 11 राज्यों में सृजित व्यक्ति-दिवसों में गिरावट दर्ज की गई जबकि केवल 8 राज्यों में सुधार दर्ज किया गया। चित्र 2 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश के अनुसार रुझानों को दर्शाता है।

जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड (54.3%) और तेलंगाना (47.6%) में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, वहीं झारखंड (56.4%) और मध्य प्रदेश (30.5%) में व्यक्ति-दिवसों में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई। दिसंबर 2021 से राज्य में काम बंद होने के कारण उपरोक्त आँकड़ों में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशवार सृजित व्यक्ति-दिवसों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अनुसूची 3 देखें।

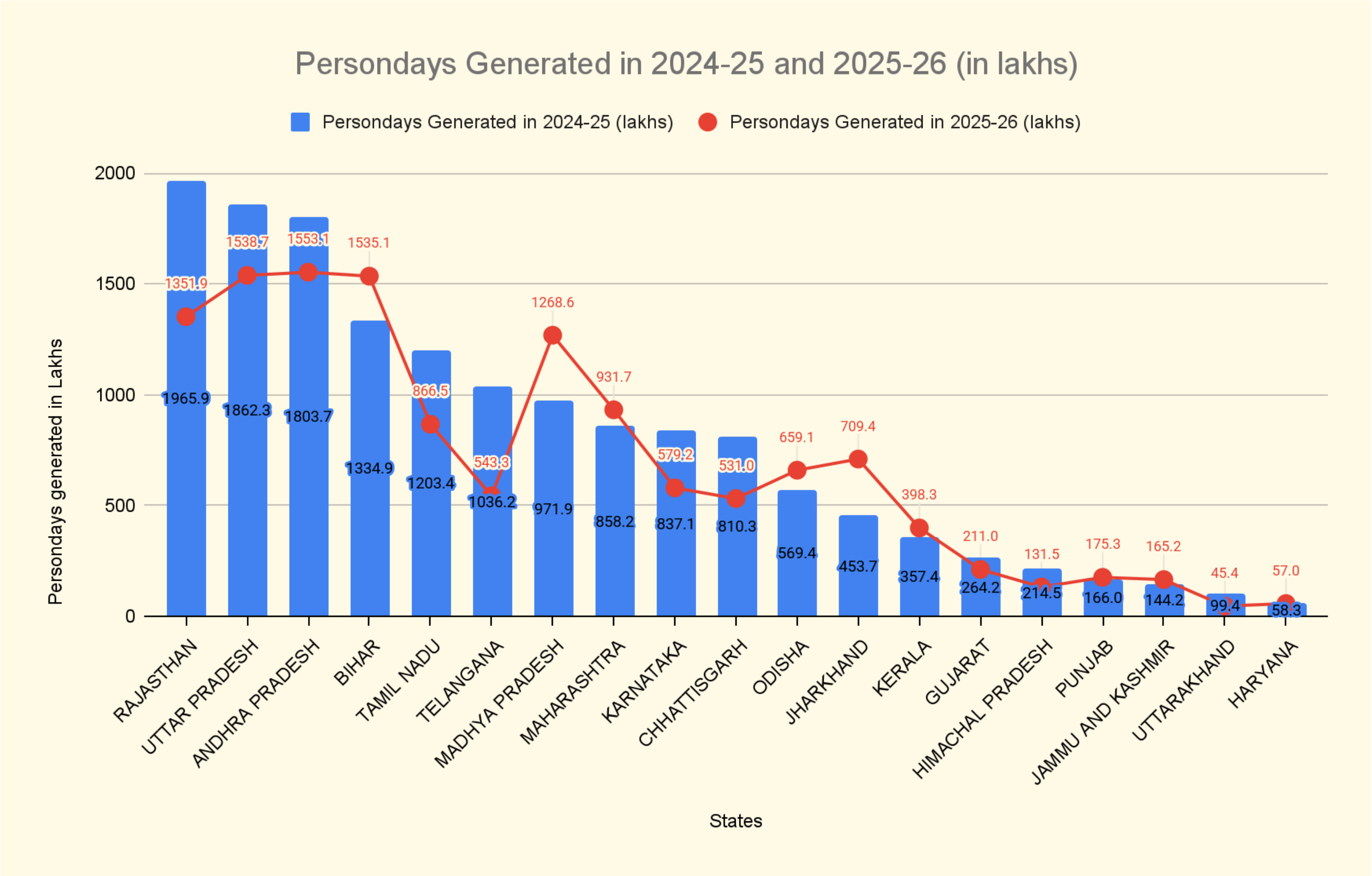

चित्र **2:** 2024-25 और 2025-26 के लिए अप्रैल-सितंबर के लिए राज्यवार सृजित व्यक्ति-दिवस

3. मनरेगा में ई-केवाईसी

2021 में एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS) की शुरुआत की गई थी। तब से NMMS को चार बार अपग्रेड किया गया है और हर बार एक नया फीचर जोड़ा गया है। हाल ही में, आधार-आधारित चेहरे के सत्यापन के माध्यम से eKYC यानी electronic Know Your Customer को अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे पहले, श्रमिकों को अपना eKYC पूरा करना होगा और एक तस्वीर यानी संदर्भ तस्वीर देनी होगी। अब जब भी NMMS कोई तस्वीर लेगा तो वह श्रमिक की तस्वीर का मिलान eKYC के दौरान ली गई संदर्भ तस्वीर से करेगा। अगर यह मेल खाती है तो श्रमिक को 'उपस्थित' और नहीं तो 'अनुपस्थित' चिह्नित किया जाएगा।

सितंबर 2025 में विभिन्न राज्यों में इस सुविधा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया गया था जिसकी समय सीमा मूल रूप से अक्टूबर 2025 के अंत तक निर्धारित की गई थी। इसलिए, नवंबर 2025 से ई-केवाईसी अनिवार्य हो गया है। जो श्रमिक इस प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहेंगे उन्हें काम और वेतन से वंचित कर दिए जाने का ख़तरा रहेगा।

ई-केवाईसी पर दिया जा रहा ज़ोर ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक व्यापक डिजिटल सुधार रणनीति का हिस्सा है जो एनएमएमएस अटेंडेंस ऐप, एबीपीएस और अब ई-केवाईसी जैसी प्रणालियों को दक्षता बढ़ाने और नकली या फ़र्ज़ी कर्मचारियों को बाहर निकालने के साधन के रूप में स्थापित करता है। अब तक एनएमएमएस ऐप और एबीपीएस जैसे डिजिटल हस्तक्षेप केवल अनुपालन के लिए थे जो काम मिलने के बाद श्रमिकों के वेतन को प्रभावित करते थे लेकिन ई-केवाईसी काम पाने के लिए एक पूर्व-शर्त बन गई है जिसके बाद एनएमएमएस और एबीपीएस लागू होते हैं।

हमारे क्षेत्रीय अध्ययनों से प्राप्त प्रारंभिक अवलोकनों से पता चलता है कि कई कर्मचारी डिवाइस-स्तरीय गलतियों, एप्लिकेशन विफलताओं और कमज़ोर नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी तकनीकी गड़बड़ियों के कारण ई-केवाईसी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि, प्रवासन एक अधिक बुनियादी बाधा प्रतीत होता है क्योंकि कई कर्मचारी वर्तमान में दूर-दराज के शहरों या राज्यों में कार्यरत हैं और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय पर घर नहीं लौट पाते हैं। इसके अलावा हमने पाया कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की सीमित उपलब्धता, स्मार्टफ़ोन की अपर्याप्त पहुँच और ग्रामीण एवं दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की खराब पहुँच के कारण इन लक्ष्यों की प्राप्ति में देरी हुई है।

3.1 राष्ट्रीय स्तर पर ई-केवाईसी की स्थिति

उल्लेखनीय रूप से कुल श्रमिकों में से 68.8% और सक्रिय श्रमिकों में से 46.9% ने अभी तक अपना ईकेवाईसी पूरा नहीं किया है

तालिका 2 दर्शाती है कि कुल श्रमिकों में से 68.8% (17.9 करोड़ श्रमिक) और सक्रिय श्रमिकों में से 46.9% (5.3 करोड़ श्रमिक) ने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश स्तर पर इसमें भिन्नताएँ हैं।

	श्रमिकों की संख्या (करोड़ में)	ई-केवाईसी हो गया (करोड़ में)	ईकेवाईसी नहीं किया गया (% में)
कुल श्रमिक	26.0	8.1	68.8

सक्रिय श्रमिक	11.3	6.0	46.9

तालिका **2:** 12 नवंबर 2025 तक कुल श्रमिकों और सक्रिय श्रमिकों की ई-केवाईसी स्थिति

एमआईएस में आधार से जुड़े श्रमिकों के लिए ही ई-केवाईसी के प्रतिशत की गणना की जाती है जबकि हमने ई-केवाईसी के प्रतिशत की गणना के लिए सभी श्रमिकों (चाहे वे आधार से जुड़े हों या नहीं) को शामिल किया है। अतः एमआईएस से तुलना करने पर तालिका में प्रतिशत भिन्न हो सकते हैं।

3.2 राज्यवार ई-केवाईसी की स्थिति

8 राज्यों में 75% से अधिक श्रमिक ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं

चित्र 3 प्रत्येक राज्य में लंबित ई-केवाईसी वाले कुल श्रमिकों और सक्रिय श्रमिकों की हिस्सेदारी को दर्शाता है। मध्य प्रदेश (93.9%), गुजरात (88.8%) और हरियाणा (88.6%) में ई-केवाईसी ना करवा पाने वाले कुल श्रमिकों की सबसे अधिक हिस्सेदारी है, जबकि सक्रिय श्रमिकों की श्रेणी में मध्य प्रदेश (90.5%), बिहार (76.7%) और झारखंड (68%) के ऐसे श्रमिकों की सबसे अधिक हिस्सेदारी है।

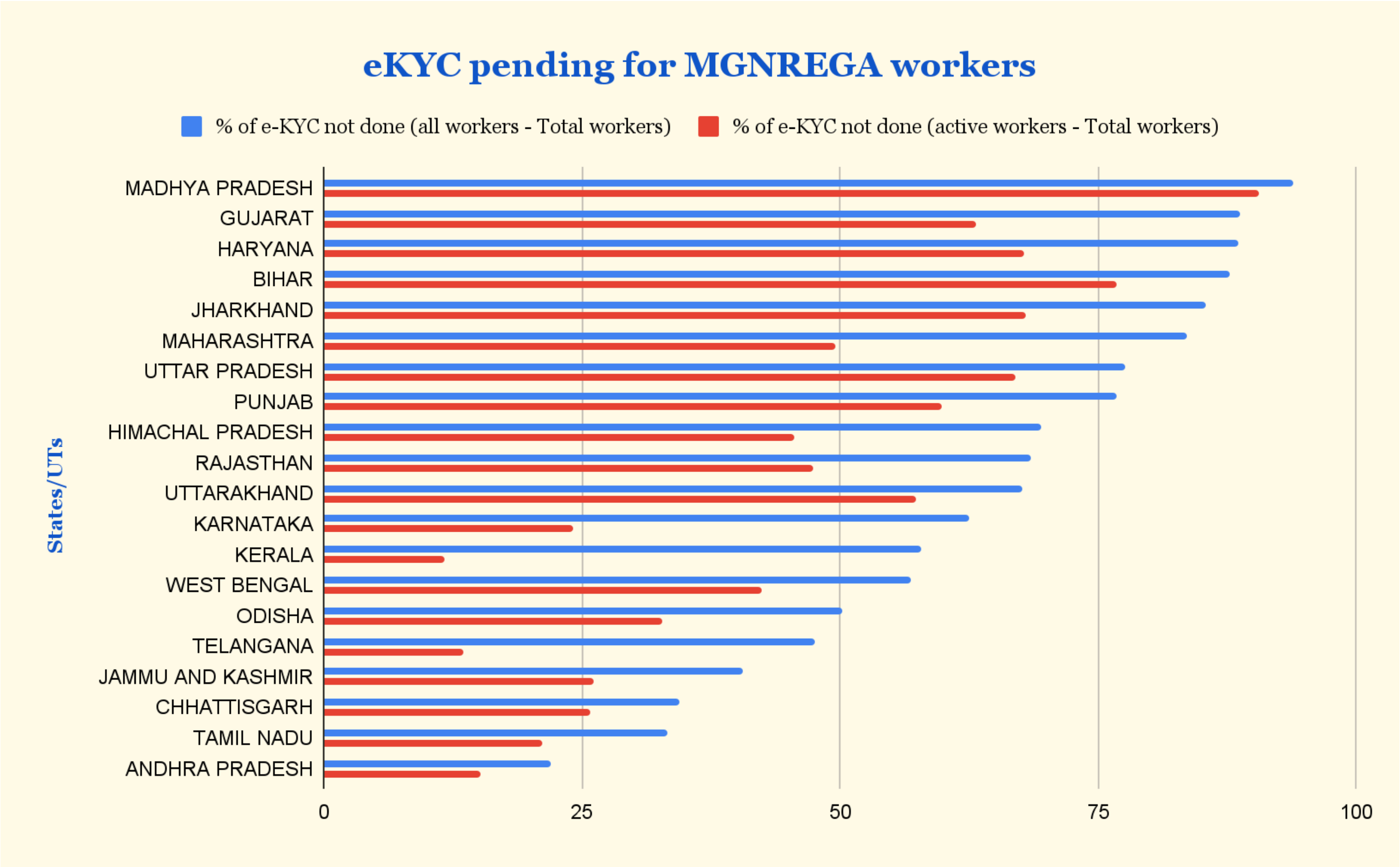

चित्र **3:** 12 नवंबर 2025 तक कुल श्रमिकों और सक्रिय श्रमिकों के लिए राज्यवार लंबित ई-केवाईसी

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ कुल श्रमिकों और सक्रिय श्रमिकों, दोनों श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आठ राज्यों में 75% से ज़्यादा श्रमिकों का ई-केवाईसी लंबित है। अधिक जानकारी के लिए चित्र 3 देखें। राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश-वार विवरण अनुसूची 3 में संलग्न हैं।

4. श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

इस वितीय वर्ष में श्रमिकों की संख्या में 78.8 लाख की शुद्ध वृद्धि

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अतीत में बार-बार कहा है कि मनरेगा में श्रमिकों का जुड़ना और हटना एक नियमित प्रक्रिया है। लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में देश में अभूतपूर्व स्तर पर लगभग 7.8 करोड़ श्रमिकों को मनरेगा से हटाया गया जबकि केवल 1.92 करोड़ श्रमिक ही इस कार्यबल में जुड़े जो भारी विषमता को उजागर करता है।

हालाँकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह प्रवृत्ति उलट गई जब 91 लाख श्रमिक हटाए गए और 2.22 करोड़ श्रमिक कार्यबल में शामिल हुए। यह सकारात्मक प्रवृत्ति इस वर्ष भी जारी है। तालिका 4 दर्शाती है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 90 लाख श्रमिक जोड़े गए जबकि केवल 11.2 लाख श्रमिक हटाए गए। राज्य/केंद्र-शासित प्रदेशवार विवरण के लिए अनुसूची 4 देखें।

क्रमांक	विवरण	संख्या (लाखों में)
1	पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	2611.7
2	चालू वर्ष में हटाए गए श्रमिकों की संख्या (ए)	11.2
3	चालू वर्ष में जोड़े गए श्रमिकों की संख्या (बी)	90
4	जोड़े गए श्रमिकों की 'शुद्ध' संख्या (ए - बी)	78.8

तालिका **3:** वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से सितंबर के दौरान श्रमिकों के हटाए जाने की स्थिति

5. पश्चिम बंगाल में मनरेगा

पश्चिम बंगाल में मनरेगा दिसंबर 2021 से बंद है जब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए मनरेगा की धारा 27 लागू करके धनराशि रोक दी थी। नतीजतन, रोज़गार प्रदान करने या मज़दूरों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। हालाँकि राज्य सरकार का दावा है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बकाया वेतन का भुगतान कर दिया है।

पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति (PBKMS) द्वारा दायर एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2025 से मनरेगा कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जिसने फिर से श्रमिकों के पक्ष में फैसला सुनाया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही अभी तक राज्य में मनरेगा कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं किया है।

5.1 मनरेगा को पुनर्जीवित करने से जुड़ी चुनौतियाँ

पश्चिम बंगाल में मनरेगा के बंद होने के बाद इस योजना में कई स्तरों पर बदलाव हुए हैं। आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के तहत, श्रमिकों के पास आधार से जुड़ा, प्रमाणित और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से जुड़ा जॉबकार्ड होना आवश्यक है। 10 अक्टूबर तक, कुल श्रमिकों में से 16.7% और सक्रिय श्रमिकों में से 12.4% अभी भी एबीपीएस के लिए अपात्र हैं। राज्य में मनरेगा को फिर से शुरू करने के लिए, श्रमिकों के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहायक प्रणालियाँ स्थापित करना और साथ ही खाता-आधारित प्रणाली के तहत भुगतान की अनुमति देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल में 83 लाख से ज़्यादा मज़दूरों के नाम हटाए गए जो उस वर्ष देश में हटाए गए कुल कामगारों का 15% है। हालाँकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बहाली की सूचना जारी की जाती है, लेकिन प्रति ब्लॉक, ज़िला और राज्य केवल एक लॉग-इन के कारण ग़लत तरीक़े से हटाए गए मज़दूरों को बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय को और ज़्यादा लॉग-इन उपलब्ध कराने चाहिए और पश्चिम बंगाल के मनरेगा में ग़लत तरीक़े से हटाए गए मज़दूरों को बहाल करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए और समय भी बढ़ाना चाहिए।

इसके अलावा, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) को न केवल शुरू किया गया है बल्कि अब तक कई बार अपडेट भी किया गया है, जिसके लिए फ्रंटलाइन कर्मचारी या राज्य तंत्र पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। राज्य से रातोंरात इस प्रणाली से तालमेल बैठाने की उम्मीद करना मनरेगा मज़दूरों और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी करेगा। इसलिए, फ्रंटलाइन कर्मचारियों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों को इस प्रणाली के अनुसार ढलने का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए कागज़-आधारित उपस्थिति और ऐप से अस्थायी छूट अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा इससे श्रमिकों के काम और वेतन का नुक़सान हो सकता है।

राज्य में मनरेगा का काम तो फिर से शुरू हो सकता है लेकिन पिछले तीन सालों में हुए व्यवस्थागत बदलावों के कारण पश्चिम बंगाल के मज़दूरों के लिए यह गंभीर चुनौतियाँ लेकर आएगा। पश्चिम बंगाल में मज़दूरों और कर्मचारियों को रातोंरात इन बदलावों का सामना करना होगा। इसलिए मनरेगा के लिए लाई जाने वाली हर नई व्यवस्था में पश्चिम बंगाल के लिए विशेष प्रावधान ज़रूरी हैं ताकि वहाँ फिर से मनरेगा को जीवनदान दिया जा सके।

6. निष्कर्ष

इस विश्लेषण से पता चलता है कि जारी किए गए जॉबकार्ड और कुल मिलाकर नए श्रमिकों की संख्या के संदर्भ में, मनरेगा का प्रदर्शन सकारात्मक रहा है, ख़ासकर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में बड़े पैमाने पर कामगारों के हटाए जाने के संदर्भ में। हालाँकि, मनरेगा की मूल भावना 100 दिनों की रोज़गार गारंटी दिलाने में निहित है न कि केवल जॉबकार्ड प्राप्त करने या हटाए गए कामगारों को योजना में बहाल करने में।

वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में व्यक्ति-दिवस में उल्लेखनीय गिरावट आई और वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में और भी ज़्यादा गिरावट आई जिससे कार्यक्रम के भविष्य को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। सृजित व्यक्ति-दिवसों में भी राज्यों के अनुसार भिन्नताएँ हैं, उत्तराखंड और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश में सुधार हुआ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के निरंतर तकनीकी हस्तक्षेपों ने अनुपालनों को पूरा करने में श्रमिकों के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों को भी उजागर किया है। सभी श्रमिकों के आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के लिए पात्र होने से पहले ही, एनएमएमएस के तहत अनिवार्य आधार-आधारित ई-केवाईसी, श्रमिकों के लिए इस अनुपालन को पूरा करने में अतिरिक्त तकनीकी और संचालन संबंधी चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है। जब नई डिजिटल तकनीकें अमल में लाई जाती हैं तो योजना के बेहतर संचालन और भ्रष्टाचार कम होने के दावे किए जाते हैं लेकिन इन डिजिटल बदलावों से श्रमिकों की उनके कानूनी अधिकारों तक पहुँच में सुधार के साथ-साथ पारदर्शिता में भी सुधार होना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय को आधार-आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य नहीं करना चाहिए और फ्रंटलाइन कर्मचारियों पर बोझ डालने वाले अनुचित लक्ष्य नहीं देने चाहिए। मंत्रालय को रोज़गार सृजन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए, ख़ासकर उन राज्यों में जहाँ रोज़गार में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही, कार्यक्रम की दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल बदलावों को लक्षित किया जा सकता है लेकिन इनसे मनरेगा के तहत काम करने के मज़दूरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मंत्रालय को किसी भी राष्ट्रव्यापी प्रणाली को लागू करने से पहले नागरिक समाज संगठनों, मज़दूर संघों और अन्य हितधारकों से परामर्श करना चाहिए।

अंत में, रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में मनरेगा को पुनर्जीवित करने की चुनौतियों पर भी विचार करती है। राज्य और केंद्र सरकारों को वैकल्पिक उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए ताकि श्रमिक पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किए गए व्यवस्थागत बदलावों के अनुकूल ढल सकें।

लिबटेक इंडिया का परिचय

हम इंजीनियरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक वैज्ञानिकों की एक टीम हैं जो भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं। हम पिछले 10 वर्षों से देश के कई राज्यों में एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं हालाँकि हममें से कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से एक दशक से भी ज़्यादा समय से इस काम में संलग्न हैं।

हमसे जुड़ें:

http://libtech.in

टि्वटर**@LibTechIndia**

व्हाट्सएप@लिबटेकइंडिया

फेसबुक@लिबटेकइंडिया

लिंक्डइन@लिबटेकइंडिया

इंस्टाग्राम**@LibTechIndia**

इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम

चक्रधर बुद्ध | शमाला किताने | राहुल मुकेरा

अनुसूची 1

रिपोर्ट के विश्लेषण में शामिल राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की सूची

क्रमांक	राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश
1	आंध्र प्रदेश
2	बिहार
3	छत्तीसगढ़
4	गुजरात`
5	हरियाणा
6	हिमाचल प्रदेश
7	जम्मू और कश्मीर
8	झारखंड
9	कर्नाटक
10	केरल
11	मध्य प्रदेश
12	महाराष्ट्र
13	ओडिशा
14	पंजाब
15	राजस्थान
16	तमिलनाडु
17	तेलंगाना
18	उत्तर प्रदेश
19	उत्तराखंड
20	पश्चिम बंगाल

अनुसूची 2

रिपोर्ट के विश्लेषण से बाहर रखे गए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की सूची

क्रमांक	राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश
1	अंडमान और निकोबार
2	अरुणाचल प्रदेश
3	असम
4	दादरा, नगर हवेली और दमन एवं दीव
5	गोवा
6	लद्दाख
7	लक्षद्वीप
8	मणिपुर
9	मेघालय
10	मिज़ोरम
11	नगालैंड
12	पुदुचेरी
13	सिक्किम
14	त्रिपुरा

अनुसूची 3

वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यवार सृजित व्यक्ति-दिवस

क्रमांक	राज्य	वित्त वर्ष **2024-25 में** सृजित व्यक्ति दिवस **(लाखों में)**	वित्त वर्ष **2025-26** में सृजित व्यक्ति दिवस **(लाखों में)**	गिरावट **(% में)**
1	उत्तराखंड	99.4	45.4	54.3
2	तेलंगाना	1036.2	543.3	47.6
3	हिमाचल प्रदेश	214.5	131.5	38.7
4	छत्तीसगढ़	810.3	531	34.5
5	राजस्थान	1965.9	1351.9	31.2
6	कर्नाटक	837.1	579.2	30.8
7	तमिलनाडु	1203.4	866.5	28
8	गुजरात	264.2	211	20.1
9	उत्तर प्रदेश	1862.3	1538.7	17.4
10	आंध्र प्रदेश	1803.7	1553.1	13.9
11	हरियाणा	58.3	57	2.3
12	पश्चिम बंगाल	0	0	0
13	पंजाब	166	175.3	-5.6
14	महाराष्ट्र	858.2	931.7	-8.6
15	केरल	357.4	398.3	-11.4
16	जम्मू और कश्मीर	837.1	579.2	-14.5
17	बिहार	1334.9	1535.1	-15
18	ओडिशा	569.4	659.1	-15.7
19	मध्य प्रदेश	971.9	1268.6	-30.5
20	झारखंड	453.7	709.4	-56.4

अनुसूची 4

राज्य-वार लंबित ई-केवाईसी - कुल श्रमिक तथा सक्रिय श्रमिक

क्रमांक	राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश	कुल श्रमिक	कुल श्रमिकों में से लंबित ई-केवाईसी (% में)	सक्रिय श्रमिक	सक्रिय श्रमिकों में से लंबित ई-केवाईसी (% में)
1	मध्य प्रदेश	1.9	93.9	1	90.5
2	गुजरात	1	88.8	0.3	63.1
3	हरियाणा	0.3	88.6	0.1	67.9
4	बिहार	2.7	87.7	1	76.8
5	झारखंड	1.1	85.4	0.4	68
6	महाराष्ट्र	3.3	83.6	0.9	49.6
7	उत्तर प्रदेश	2.3	77.6	1.2	67
8	पंजाब	0.3	76.8	0.2	59.9
9	हिमाचल प्रदेश	0.3	69.5	0.1	45.5
10	राजस्थान	2.3	68.4	1.2	47.3
11	उत्तराखंड	0.2	67.7	0.1	57.4
12	कर्नाटक	1.8	62.5	0.8	24.1
13	केरल	0.6	57.9	0.2	11.7
14	पश्चिम बंगाल	2.6	56.8	0.2	42.4
15	ओडिशा	1.1	50.2	0.7	32.8
16	तेलंगाना	1	47.6	0.5	13.4
17	जम्मू एवं कश्मीर	0.2	40.7	0.1	26.1
18	छत्तीसगढ़	0.8	34.4	0.6	25.9
19	तमिल नाडु	1.1	33.3	0.9	21.2
20	आंध्र प्रदेश	1.1	22	0.9	15.1
	Total	**26**	**68.6**	**11.3**	**46.9**

अनुसूची 5

वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यवार जोड़े गए श्रमिकों की शुद्ध संख्या

क्रमांक।	राज्य अमेरिका	पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	चालू वर्ष में जोड़े गए श्रमिकों की संख्या (ए)	चालू वर्ष में हटाए गए श्रमिकों की संख्या (बी)	जोड़े गए श्रमिकों की 'शुद्ध' संख्या (ए-बी)
1	आंध्र प्रदेश	12468918	315745	216049	99696
2	बिहार	27121414	1519339	82001	1437338
3	छत्तीसगढ़	8300572	432035	181329	250706
4	गुजरात	9875382	137239	16512	120727
5	हरियाणा	2633549	191322	9524	181798
6	हिमाचल प्रदेश	2869611	28830	9031	19799
7	जम्मू और कश्मीर	2414450	55806	18339	37467
8	झारखंड	10558572	263131	36131	227000
9	कर्नाटक	18215737	270030	107304	162726
10	केरल	5840601	122784	11479	111305
11	मध्य प्रदेश	18530756	548738	32035	516703
12	महाराष्ट्र	33098782	3386134	128809	3257325
13	ओडिशा	10935260	337740	39731	298009
14	पंजाब	3038441	97125	13420	83705
15	राजस्थान	23373159	303798	61240	242558
16	तमिलनाडु	11049350	72811	22636	50175
17	तेलंगाना	10424104	46091	84746	-38655
18	उत्तर प्रदेश	23202375	854216	34396	819820
19	उत्तराखंड	1586675	16696	17734	-1038
20	पश्चिम बंगाल	25633628	3972	18	3954
	कुल	**261171336**	**9003582**	**1122464**	**7881118**